

कार्यालय, अंचल अधिकारी, चास(बोकारो)

क्रमांक968.....

दिनांक 11/12/17...../

भू-सत्यापन / जमाबंदी सत्यापन प्रमाण पत्र

राजस्व कर्मचारी मो० राहत नेहाल, हत्का सं०-III(मु०) अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि बोकारो एजुकेशन ट्रस्ट बोकारो के अध्यक्ष श्री संजय वैध, पिता/पति-सम्पतमल वैध, मौजा-चिकसीया, थाना नं०-57, खाता सं०-41,50 खेसरा सं०-168,169,170 एवं 178 रकबा-1.52^{1/2} ए० भूमि केवाला सं०-6223, दिनांक-21.08.09 द्वारा खरीद किया गया है, जो रैयती खाते की भूमि है। जमाबंदी थोका सं०-173 में नाम दर्ज है, जिसका लगान रसीद दाखिल-खारिज मुकदमा सं०-1605 : III(मु०)/2009-10 के द्वारा स्वीकृत होकर वर्ष 2017-18 तक अद्यतन है।

अंचल अधिकारी/2
चास
11/12/17



अंचल अधिकारी का कार्यालय चास (बोकारो)

ज्ञापक 1702

दिनांक 21/10

भूमि उपयोगिता परिवर्तन प्रमाण -पत्र

हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम चिकसिया थाना सं० 57 के अंतर्गत खाता नं० 41 प्लॉट नं० 169 कुल रकबा 70.5 एकड़ भूमि डा० एस० राधा कृष्णन कॉलेज ऑफ एजुकेशन के नाम से खरीदगी भूमि है जिसका नामान्तरण गु० सं० 1595 III (गु०) 2009-10 के द्वारा स्वीकृत होकर लगान रसीद निर्गत हो रहा है जो पंजी II के थोका सं० 174 में दर्ज है।

उक्त भूमि एन० एच० 32 (काला पाथर) से 200 मीटर पुरब अवस्थित है एवं कॉलेज हेतु उपयुक्त है।

अतः उक्त प्रमाण पत्र कॉलेज के सचिव के आवेदन पत्र के आधार पर निर्गत किया जाता है।



21/10
अंचल अधिकारी

चास